तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
22.5.17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट हिंगोटा मे पेश हुई। बहस प्रा० पत्र 06 R 17 CPC सुनी गई। वादी ने प्रार्थना पत्र से कथन किया कि दावा मे प्रतिवादी सं० 3 का नाम बेतालसिंह दर्ज हो गया है जबकि उसका असली नाम गोपालसिंह है। जो राजस्व रिकार्ड मे भी अंकित है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनो को सही कहा तथा कोई आपत्ति जाहिर नही की। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड मे भी गोपालसिंह नाम दर्ज है अत: प्रार्थना वादिया स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर ही प्रतिवादी सं० 3 के नाम बेतालसिंह के बजाय गोपालसिंह किया जाता है। पत्रावली मे विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई प्रतिवादी सं०6 ने प्रार्थना पत्र मय असल बयनामा पेश कर कथन किया कि इसने प्रतिवादी नं० 1 का पूर्ण हिस्सा क्रय कर लिया है। प्रतिवादी नं० 1 ने भी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी सं० 6) स्वीकार कर दावा वादिया डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।	गोपालसिंह [illegible] कि०अ० पुष्पा भीरा ग्राम [illegible]

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29-11-19	वकील प्रतिवादी संख्या 6 उपस्थित। बहस प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-9-19 वपनामा वापिसी पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली को अपील [illegible] न्यायालय में विचाराधीन नहीं थी। असल वपनामा प्रतिवादी वापिस लेना चाहती थी वपनामा की प्रमाणित छायाप्रतिलिपि प्रार्थना-पत्र के साथ पेश की थी। अतः आदेश है कि प्रतिवादी संख्या 6 रामोदेवी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वपनामा वापिस लेवें तथा फार्म नं. 3 पर वपनामा वापिसी प्राप्ति की रसीद देवें। वकील प्रतिवादी संख्या 6 की शिनाख्त करें। आदेश सुनाया गया। प्रार्थना-पत्र फैसल हुआ होकर पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (हस्ताक्षर)	